Bill No. 18 of 2015

THE MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES, ALLOWANCES, PENSION, ETC.) (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

Further to amend the Members of the Legislative Assembly of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, etc.) Act, 1994.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty Sixth year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and commencement. –** (1) This Act may be called the Members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, etc.) (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **Amendment of section 3.** – In the Members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, etc.) Act, 1994, (hereinafter referred to as the principal Act), in section 3, -

(a) In sub-section (1) –

(i) for the words “twelve thousand rupees”, the words “fifty thousand rupees” shall be substituted;

(ii) for the words “one thousand rupees” the words “two thousand rupees” shall be substituted; and

(iii) the words “subject to maximum up to forty days” shall be omitted;

(b) Insertion of new sub-section (1) (a), “ (a)The salary of members shall be rupees fifty thousand initially and shall be raised by rupees five thousand every twelve months during each term of the assembly:

Provided a member elected in a bye – election to the Legislative Assembly shall draw a salary equal to the salary drawn by the members who were elected in the general elections to that Assembly.”

(c) In sub-section (2), for the words “eighteen thousand rupees”, the word, “fifty thousand rupees” shall be substituted;

(d) In sub-section (3), for the words “six thousand rupees”, the word “thirty thousand rupees” shall be substituted;

(e) In sub-section (4), for the words "secretarial assistance" the words "communication allowance" shall be substituted;

(f) Insertion of sub-section (5), "(5) There shall be paid to each member rupees twenty five thousand per month as MLA's Constituency Office rental and related utilities allowance;

provided that the allowance shall not be paid to members operating from office space allotted by public agencies or from their own residences";

(g) Insertion of sub-section (6) "(6) There shall be paid to each member a sum of rupees one lakh as one time allowance for furnishing their MLA's Constituency Office for each term of office";

(h) Insertion of sub-section (7), "(7) There shall be paid to each member a sum of rupees sixty thousand as one time allowance for buying MLA's Constituency Office equipment for each term of office";

(i) Insertion of sub-section (8), "(8) There shall be paid to each member a sum of rupees one lakh as one time allowance for purchase of laptop, personal computer, printer, mobile handset etc. for each term of office";

3 **Substitution of section 6**.- **–** In the principal Act,

(a) Section 6 to be omitted and section 6A to be renumbered as section6;

(b) for the words "fifty thousand rupees" the words "three lakh rupees" shall be substituted;

(c) the words "within India" shall be omitted.

4**.** **Insertion of new section 7. –** In the principal Act, after section 6 the following section shall be inserted, namely :-

"**7. Reimbursement of salaries of secretarial staff. –** Members of Legislative Assembly of Delhi shall be reimbursed upto a sum of rupees thirty thousand per month for one data entry operator and one office assistant; rupees thirty thousand per month towards salary for one researcher and rupees ten thousand for one office attendant on production of receipt of payment through cheque or electronic clearance from the staff so employed."

5. **Amendment in section 8.** – In the principal Act, in section 8 for the words "four lakh rupees" the words "twelve lakh rupees" shall be substituted.

6. **Omission of Section 8A. –** In the principal Act, section 8A to be omitted.

7. **Amendment in section 9.** – In the principal Act, in section 9 for the words "seven thousand five hundred rupees" the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS & REASONS

For some time past, there has been persistent demand from the MLAs for the increase in their salaries and perks/ facilities having regard to the increase in the price index. It has also been pointed out that salaries/perks/facilities of Ministers/ Speaker/ Deputy Speaker/ Leader of Opposition/ Chief Whip are a bit inadequate which should be upgraded and enhanced to a commensurate extent.

Considering the exigency of demand, the Speaker of Delhi Legislative Assembly appointed a Committee of Experts on 20.08.2015 to undertake a comprehensive study of the structure of salaries and allowances of Members of Legislative Assembly of Delhi and to recommended revision of salary allowances and other facilities for the Members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi. The Expert Committee after deliberating on the issues has made its recommendations for increasing the Salaries and allowances etc. of Members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi.

For the purpose, the Members of Legislative Assembly of Delhi of National Capital Territory of Delhi (Salaries, allowances, Pension etc.) (Amendment) Bill, 2015, has been initiated to amend the Members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension etc) Act, 1994. The Bill proposes to increase the salaries, allowances & other facilities of the Members of the Legislative Assembly of Delhi, so as to facilitate them to work effectively in their fields.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MANISH SISODIA)
Deputy Chief/Minister/Minister(Law)
December 2,2015

FINANCIAL MEMORANDUM

For the implementation of the proposals contained in The Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension etc.) (Amendment) Bill, 2015, there will be an additional annual recurring expenditure from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension etc.) (Amendment) Bill, 2015, does not seek to confer power of legislation on any subordinate functionaries.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा सदस्यों का (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि) (संशोधन) विधेयक, 2015

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा सदस्यों का (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि) अधिनियम, 1994 में संशोधन के लिये विधेयक

इसे भारतीय गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जायेगा :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ .–** (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा सदस्यों का (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि) (संशोधन) विधेयक, 2015 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से उपराज्यपाल द्वारा यथानिश्चित तिथि को प्रभावी होगा।

2. **धारा 3 का संशोधन :–** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा सदस्यों का (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि) अधिनियम, 1994 (इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 में –

(क) उपधारा (1) में–

(i) ''बारह हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पचास हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) ''एक हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा; तथा

(iii) ''अधिकतम चालीस दिन की शर्त पर'' शब्दों को हटाया जायेगा;

(ख) नयी धारा (1)(क) का सन्निवेशन, ''(क) सदस्यों का वेतन प्रारंभ में पचास हजार रुपये होगा तथा विधानसभा की प्रत्येक कार्यावधि के दौरान प्रत्येक बारह महीनों में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी होगीः

उपबंध है कि विधानसभा के उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य को भी उस विधानसभा के सामान्य चुनाव में निर्वाचित सदस्य के द्वारा प्राप्त वेतन के समान वेतन मिलेगा।''

(ग) उपधारा (2) में ''अठारह हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पचास हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(घ) उपधारा (3) में ''छह हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''तीस हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ङ) उपधारा (4) में ''सचिवालय सहायक'' शब्दों के स्थान पर ''सम्प्रेषण भत्ता'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ज) उपधारा (5) का सन्निवेशन, ''(5) प्रत्येक सदस्य को विधायक निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय के किराये तथा संबंधित सुविधा भत्ता के रूप में पच्चीस हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे'';

उपबंध है कि यह भत्ता उन सदस्यों को नहीं दिया जायेगा जो सरकारी विभागों द्वारा आवंटित कार्यालय स्थानों या अपने आवास से कार्य कर रहे हैं।;

(छ) उपधारा (6) का सन्निवेशन ''(6) प्रत्येक सदस्य को विधायक निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय में प्रत्येक कार्यावधि के लिये फर्निशिंग हेतु एक मुश्त भत्ते के रूप में एक लाख रुपये की राशि दी जायेगी'';

(च) उपधारा (7) का सन्निवेशन ''(7) प्रत्येक सदस्य को विधायक निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय में प्रत्येक कार्यावधि के लिये उपकरणों के लिये एक मुश्त भत्ते के रूप में साठ हजार रुपये की राशि दी जायेगी'';

(झ) उपधारा (8) का सन्निवेशन ''(8) प्रत्येक सदस्य को विधायक निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय में प्रत्येक कार्यावधि के लिये लेपटॉप, पर्सनल कम्प्यूटर, प्रिन्टर, मोबाइल, हैंडसैट आदि की खरीद के लिये एक मुश्त भत्ते के रूप में एक लाख रुपये की राशि दी जायेगी'';

3. **धारा 6 का प्रतिस्थापन** – मूल अधिनियम में,

(क) धारा 6 को हटाया जाएगा और धारा 6क को, धारा 6 के रूप में क्रमांकित किया जाए:

(ख) ''पचास हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''तीन लाख रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ग) ''भारत के भीतर'' शब्दों को हटाया जायेगा।

4. **नयी धारा 7 का सन्निवेशन .**– मूल अधिनियम में धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

''**7 सचिवालय कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति.–** दिल्ली विधानसभा सदस्यों को एक डाटाएंट्री ऑपरेटर तथा एक कार्यालय सहायक के लिये तीस हजार रुपये प्रतिमाह की राशि; एक शोधकर्त्ता के वेतन के लिये तीस हजार रुपये प्रतिमाह तथा एक कार्यालय परिचर के लिये दस हजार रुपये नियुक्त कर्मचारी द्वारा चैक द्वारा भुगतान की रसीद देने पर या इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।''

5. **धारा 8 में संशोधन.–** मूल अधिनियम की धारा 8 में ''चार लाख रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''बारह लाख रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. **धारा 8क को हटाना.–** मूल अधिनियम में धारा 8क को हटाया जायेगा।

7. धारा 9 में संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 9 में ''सात हजार पांच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पन्द्रह हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

उद्देश्य एवं कारणों का विवरण

पिछले कुछ समय से मूल्य सूचकांक में वृद्धि को देखते हुए विधायकों द्वारा उनके वेतन एवं अनुलाभ/सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु निरन्तर मांग की जा रही है। यह भी संकेत किया गया है कि मंत्रियों/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचेतक के वेतन/अनुलाभ/सुविधाओं में अपर्याप्तता है जिसे बढ़ाकर एक समान सीमा तक किया जाना चाहिए।

मांग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा के सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की संरचना का व्यापक अध्ययन करने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के सदस्यों के लिये वेतन भत्तों तथा अन्य सुविधाओं के संशोधन की सिफारिश के लिये दिनांक 20.8.2015 को एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। विशेषज्ञ समिति ने विषयों पर गहन विचार–विमर्श के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्तों आदि में वृद्धि की संस्तुति की है।

इस प्रयोजन के लिये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्यों के (वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि) अधिनियम, 1994 में संशोधन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्यों के (वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि) (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रांरभ किया गया है। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि का प्रस्ताव है, जिससे उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने में सुविधा हो।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

(मनीष सिसोदिया)
उप–मुख्यमंत्री/मंत्री (न्याय)
02 दिसम्बर, 2015

<u>वित्तीय ज्ञापन</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा सदस्यों का (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि) (संशोधन) विधेयक, 2015 में निहित प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती व्यय की आवश्यकता होगी।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा सदस्यों का (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि) (संशोधन) विधेयक, 2015 किसी अधीनस्थ अधिकारी को विधायी शक्ति प्रदत्त नहीं करता है।